

Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202800697203				
क्र.	पूरा नाम	लिंग	उम्र	संबंध
1	कुलसुम खातून	म.	55	स्वयं
2	सहमत अन्सारी	पु.	68	पति
कुल व्यक्तियों की संख्या : 2				
कार्डधारी का हस्ताक्षर :				

Help Line No :- 18003456598
IT SUPPORT BY NATIONAL INFORMATICS CENTRE (NIC)

राशन कार्ड

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग



झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
जिला :- Lohardaga

Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202800697203

कार्डधारी का नाम : कुलसुम खातून



Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202800697203

कार्डधारियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ

1. कार्डधारी का नाम : कुलसुम खातून

2. Cardholder Name : KULSUM KHATOON 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित / विधवा / परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होंगी। परिवार में इनके ना होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के सदस्य परिवार के मुखिया होंगे किन्तु परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित / विधवा / परित्यक्ता महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य परिवार की मुखिया होंगे।

3. पिता / पति का नाम : सहमत अन्सारी

4. आवासीय पता :-

गाँव / वार्ड : Arru

प्रखंड / नगर-पालिका : Senha

जिला का नाम : Lohardaga

5. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम / पता :-

वितरक का नाम : SEVA MAHILA MANDAL ARRU

वितरक का पता : ग्राम अरु पोस्ट अरु थाना सेन्हा जिला लोहरदगा

निर्गत करने की तिथि : 28-10-2021

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

१. यह राशन कार्ड कार्डधारी को निजी रूप से दिया गया है। इसे कार्डधारी के अलावा कोई और व्यवहार में नहीं ला सकता है। कार्ड को सुरक्षित रखना कार्डधारी की निजी जिम्मेदारी है।

२. प्राधिकृत उचित मूल्य के दूकान से राशन लेने के समय कार्ड में राशन की मात्रा अवश्य अंकित करा लें। अपने कार्ड को दूकान में किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिये।

३. किसी माह का राशन अगर उसी माह में नहीं प्राप्त किया जाये तो वह राशन अगले माह में भी मिल सकता है।

४. उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना उपायुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / पणन पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को भेजी जा सकती है।

५. यह कार्ड नि:शुल्क है। इसके खो जाने या अन्य कारणों से दूसरे कार्ड की आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति निर्धारित राशि प्राप्त होने के उपरांत, उचित जाँच के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

६. कार्डधारी अगर अपने निवास स्थान को बदले तो इसकी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को तुरंत दे और अपने नये निवास के वार्ड की दुकान में अपना कार्ड स्थानांतरित करवा ले।

७. जब कार्डधारी का अपने राशननिंग क्षेत्र / अपने क्षेत्र के बाहर जाना निश्चित हो जाय तब इस राशन कार्ड को तुरंत आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर एक प्रमाणपत्र ले लेना आवश्यक होगा अन्यथा अन्य स्थान में नया कार्ड नहीं बन सकेगा।

८. राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट - <https://aahar.jharkhand.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

९. आपूर्ति सम्बंधित कोई भी शिकायत होने पर टाल-फ्री हेल्पलाईन नंबर -1967 एवं 1800 212 5512 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।